न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर0ए0एस0

राजस्व आवेदन संख्या 10 /2021

प्रार्थीगण :–

1. सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

विप्रार्थीगण:–

1. हीरोदेवी (फौत)
2. आसुराम पुत्र श्री वीरमाराम
3. घेवरराम पुत्र श्री वीरमाराम
4. बाबूलाल पुत्र श्री वीरमाराम
5. स्व. पूनमाराम पुत्र श्री वीरमाराम के कायम मुकाम:–
   5/1 हरीश पुत्र श्री पूनमाराम
   5/2 रामनिवास पुत्र श्री पूनमाराम
   5/3 पूजा पुत्री श्री पूनमाराम
   5/4 सरला पुत्री श्री पूनमाराम
   5/5 मोहनीदेवी पत्नी श्री पूनमाराम
   रामनिवास,पूजा व सरला नाबलिग होने से जरिये कुदरती वली माता मोहनीदेवी पत्नी श्री पूनमाराम
6. चौथाराम पुत्र श्री प्रहलादराम
7. झालाराम पुत्र श्री प्रहलादराम
8. स्व.जोधा पुत्र श्री बागा के कायम मुकाम:–
   8/1 सुखराम पुत्र जोधाराम
   8/2 हरीराम पुत्र जोधाराम
   8/3 हेमाराम पुत्र जोधाराम
   8/4 जयकिशन पुत्र जोधाराम
   8/5 बुधाराम पुत्र जोधाराम
9. स्व. सोना पुत्र श्री गोरधन के कायम मुकाम:–
   9/1 बाबूलाल पुत्र श्री सोनाराम
   9/2 गोपालराम पुत्र श्री सोनाराम
10. धनी पत्नी श्री हरूराम सभी जातियान् विश्नोई निवासीगण फूलण तहसील समदडी जिला बाड़मेर
11. पुष्पराज बोहरा पुत्र श्री सोहनराज बोहरा निवासी जालोर
12. बाबूलाल पुत्र कोहलाराम
13. पूनमाराम पुत्र कोहलाराम
14. भगवानाराम पुत्र कोहलाराम सभी जातियान विश्नोई निवासीगण फूलण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति:–

1. श्री कैलाशपुरी विप्रार्थी संख्या 9/1
2. श्री नरपतसिंह भाटी विप्रार्थी संख्या 12 व 14

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक:–20.09.2021

इस आदेश के जरिये विप्रार्थी संख्या 9/1 बाबूलाल पुत्र सोनाराम द्वारा प्रस्तुत पुर्नावलोकन याचिका आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 114 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी संख्या 9 बाबूलाल द्वारा पुर्नावलोकन याचिका इस आशय की पेश की गई है कि राजस्व गांव फूलण के मूल खसरा 130 में विप्रार्थीगण व अन्य खातेदारन् के अलग–अलग खातेदार खेत आये हुये है जिसमें विप्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 258/130 रकबा 15.09 बीघा किस्म रेतली है जिसमें विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त माफिक नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार कायम है मौके पर काश्त कर रहे है फिर भी हल्का पटवारी द्वारा विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की उक्त भूमि को सहवन से श्रीमान् के समक्ष गलत अंकन कर मौके के स्थिति से भिन्न नक्शा प्रस्तुत कर व सही तरमीम को हटाकर नई तरमीम करने हेतु तहसीलदार समदडी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनाक 16.08.2019 को आदेश पारित किया गया तथा आगे यह वर्णित किया कि उक्त आदेश की पालना में मौके पर कब्जे से भिन्न तरमीम तहसीलदार समदडी द्वारा करने से विप्रार्थीगण व अन्य खातेदारन के मध्य मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा आगे यह वर्णित किया कि हल्का पटवारी को कब्जा काश्त अनुसार ही उक्त तरमीम दर्शित करनी थी लेकिन हल्का पटवारी द्वारा हम विप्रार्थीगण की भूमि को अन्य खातेदारन के कब्जे व खातेदार को दर्शा दिया गया है तथा हल्का पटवारी ने खसरे की लोकेशन ही बदल कर अन्य लोगो के खातेदारी कब्जा काश्त की जमीन पर खसरा संख्या 258/130 दर्ज कर दिया तथा आगे यह भी निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश हल्का पटवारी द्वारा गलत तथ्य बताने से व गलत तथ्य दर्शा कर आदेश पारित कराने से व तथ्यों की भूल के कारण गलत आदेश पारित करवा दिया गया है,तथा विप्रार्थी ने अंतिम रूप से यह निवेदन किया कि जरिये पुर्नावलोकन उक्त आदेश में संशोधन करते हुये माफिक नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार संशोधित आदेश जारी फरमावे। विप्रार्थी संख्या 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर शेष विप्रार्थीगण के जरिये नोटिस तलब किया गया।

मध्यक्षेपी पूनमाराम पुत्र कोलाराम जाति विश्नोई,बाबूलाल पुत्र पोलाराम जाति विश्नोई व भगवानराम पुत्र पोलाराम जाति विश्नोई द्वारा उक्त याचिका में प्रार्थना पत्र आदेश 01 [illegible] सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] वगैरह वादग्रस्त भूमि के खातेदार है व मौके पर [illegible] विप्रार्थीगण का प्रत्यक्ष हक निहित है और यदि मध्यक्षेपी प्रार्थीगण को [illegible] सुना जाता है तो प्रार्थीगण न्याय से महरूम हो जायेगे तथा उक्त याचिका के न्यायिक निर्णय हेतु भी प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार है व उक्त याचिका का प्रार्थीगण विधिक जबाव प्रस्तुत करना चाहते है व अपना विधिक पक्ष रखना चाहते है,तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने उक्त याचिका के खण्डन में विधिक आधार भी लिखित में पेश किये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील मध्यक्षेपी प्रार्थीगण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबंदी व नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण विवादित भूमि पर मौके पर काबिज काश्तकार व रेकर्डेड खातेदार है अर्थात इन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है । मध्यक्षेपी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थीगण विवादित भूमि पर मौके पर खातेदार काश्तकार है अर्थात इन मध्यक्षेपी प्रार्थीगण को बतौर पक्षकार बनाया जाकर विप्रार्थीगण 12 ता 14 बनाया जाता है । विप्रार्थी संख्या 09 व विप्रार्थी संख्या 12 ता 14 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई । पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात एवं इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2019 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 09 का तर्क है कि नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शाये भाग बरंग लाल अनुसार विप्रार्थी संख्या 09 का कब्जा काश्त मौके पर विद्यमान है जबकि कब्जा काश्त के विपरित जाकर हल्का पटवारी ने विप्रार्थी संख्या 09 की खातेदारी नक्शा ट्रेस में दर्शा दी है । तथा विप्रार्थी संख्या 12 ता 14 का तर्क है कि उक्त पुर्नावलोकन याचिका विप्रार्थी संख्या 9 द्वारा गलत पेश की गई है याचिका में बरंग लाल दर्शाया नक्शा भाग में विप्रार्थीगण संख्या 12 ता 14खसरा संख्या 269/130 के खातेदार एवं काबिज काश्तकार है तथा विप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त मौके से रिव्यू याचिका के जरिये बदलवाना विधि संवत नहीं है , तथा अपने कथने के समर्थन में लिखित बहस कर के उक्त पुर्नावलोकन याचिका निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया बाद अवलोकन यह तथ्य सामने आया कि तहसीलदार समदडी द्वारा इस न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.अ. 1956 के तहत पेश किया गया था उसमें मात्र दो कथन अंकित किये गये थे प्रथम यह अंकित था कि सारहद फूलण में खसरा संख्या 258/130 दर्ज न होकर खसरा संख्या 130/126 ,130/127 व 130/128 दर्ज है जो अशुद्व दर्ज हो रखे है जिससे राजस्व रेकर्ड व नक्शा में एकरूपता नहीं है इस कारण नक्शा ट्रेस में दर्ज खसरा संख्या 130/126,130/137व 130/128 विलोपित करते हुये उसके स्थान पर खसरा संख्या 258/130 दर्ज किये जाने की स्वीकृति चाही गई थी द्वितीय यह अंकित किया कि उक्त रेकर्ड दुरूस्ती से मौके पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त प्रार्थना में नोटिस जारी करने के बाद विप्रार्थी संख्या 3,5,6 व 12 ने न्यायालय में आकर सहमति जाहिर की तथा शेष विप्रार्थीगण नोटिस तामील के बावजूद भी हाजिर नही होने से अज अदालत द्वारा उनकी मौन स्वीकृति मानी गई। अज अदालत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जिसे मात्र उक्त दोनो बिन्दु

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:04 IST
Reason: SelfAttested

जो तहसीलदार समदडी द्वारा आवेदन में दर्शाए गये को लोकहित की भावना से स्वीकार किया गया तथा यह आदेश पारित किया गया कि खसरा संख्या 130/26,130/27 व 130/28 विलोपित करते हुये राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अंकित खसरा संख्या 258/130 नक्शा लट्ठा में दर्ज किया जावे। उक्त आदेश से इस पुर्नावलोकन याचिका का पक्षकार विप्रार्थी संख्या 09 बाबूलाल किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है चूंकि तहसीलदार समदडी द्वारा जो प्रार्थनापत्र पेश किया गया मात्र लिपिकीय त्रृटि यानि मात्र गलत खसरा संख्या 130/26 वगैरा के स्थान पर 258/130 दर्ज करना मात्र यानि उक्त सुधार के लिये पेश किया गया था तथा इसमें मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना बताया गया था । तथा न ही उक्त आदेश से मौके पर कोई परिवर्तन हुआ है। अर्थात इस स्थिति में विप्रार्थी संख्या 09 बाबूलाल उक्त आदेश से व्यथित नहीं है अब विवादक बिन्दू यह है कि न्यायालय को यह देखना है कि क्या इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2019 में ऐसी कोई लिपिकीय त्रृटि रही है जिसमें जरिये पुर्नावलोकन संसोधन किया जाना आवश्यक है। पूर्व में पारित आदेश दिनांक 19.08.2019 में ऐसी कोई प्रथम दृष्टया लिपिकीय त्रृटि या भूल स्पष्टतय परिलक्षित नहीं होती है। विधिक रूप से भी नजरशानी का दायर अत्यन्त सीमित होता है नजरशानी के आड में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता हैं। अतः विप्रार्थी संख्या 09/1 के द्वारा प्रस्तुत पुर्नावलोकन याचिका सारहीन होने से इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार हो। खर्चो पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:13:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 10.09.2021 को न्यायालय में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)